



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 21.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना- कन्धरापुर: एक चाकू व नकदी के साथ 01 शांतिर अपराधी गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 21.06.2025 वरिष्ठ उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अर्जुन उर्फ टुनटुन ठठेरा पुत्र रमेश ठठेरा निवासी कोइनहा बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को अण्डर पास पुलिस से पहले ही बनारस सर्विस रोड पर ही समय 03.43 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 183/25 अन्तर्गत धारा 4/25 A. Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1-अर्जुन उर्फ टुनटुन ठठेरा पुत्र रमेश ठठेरा निवासी कोइनहा बाजार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:

1. एक अदद नाजायज चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 183/25 अन्तर्गत धारा 4/25 A. Act थाना कन्धरापुर
 2. 1200/- रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 164/2025 धारा 331(4),305(A) BNS थाना कन्धरापुर
 - 3.1300/- रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 169/25 धारा 331(4),305 BNS व चोरी करने का उपकरण एक छोटा लोहे की सब्बला थाना कन्धरापुर
- पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 183/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर, आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 164/2025 धारा 331(4), 305(A), 317(2) BNS थाना कन्धरापुर
2. मु0अ0सं0 169/25 धारा 331(4),305, 317(2) BNS थाना कन्धरापुर
3. मु0अ0सं0 183/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. व0उ0नि0 श्री रमेश कुमार
2. उ0नि0 जावेद अख्तर
3. उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह
4. उ0नि0 अमित कुमार पाल
5. का0 आकाश गौड
6. का0 नितिन मिश्रा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।



02.थाना पवई: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास—

अवगत कराना है कि दिनांक 14.06.2025 को वादिनी थाना पवई आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रवीन्द्र पुत्र मुरली ग्राम ओरिल कमटार थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 177/2025 धारा 87/137(2) भा0न्या0सं0 बनाम रवीन्द्र पुत्र मुरली ग्राम ओरिल कमटार थाना पवई जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी/गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण----

आज दिनांक 21.06.25 को उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रवीन्द्र पुत्र मुरली ग्राम ओरिल कमटार थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को चकिया बाजार से समय करीब 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-रवीन्द्र पुत्र मुरली ग्राम ओरिल कमटार थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 177/2025 धारा 87/137(2) भा0न्या0सं0 थाना पवई आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय का0 अनुपम यादव म0का0 पूजा पाण्डेय थाना पवई आजमगढ़



03.थाना-तहबरपुर: प्रतिबंधित पशु की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 04.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय पुलिस बल के पुर्वांचल एक्सप्रेसवे के किमी 228.5 पर खड़ी एक 14 टायर ट्रक नं0 UP 51AT 3505 में से 25 राशि प्रतिबंधित पशु, जिसमें 22 राशि मृत प्रतिबंधित पशु 3 राशि जिन्दा प्रतिबंधित पशु बरामद किया गया था, उक्त ट्रक में लदे प्रतिबंधित पशु व बैल को बध हेतु बिहार ले जा रहे थे, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/2025, धारा 3/5ए/8 उ0प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 325 भा0न्या0सं0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह विवेचना की जा रही थी, जिसमें वाहन स्वामी द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, जिसके द्वारा दिये गये बयान व अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. नरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र भिष्म मिश्रा ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्री नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर 3. बुद्धराज पासवान पुत्र राजाराम पासवान निवासी ग्राम नऊवाबाग भड़हरा थाना कोतवाली जनपद फेतहपुर 4. बरकत पुत्र गुलजारी निवासी ग्राम लोरपुर ताजन थाना कोतवाली अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर का नाम प्रकाश में आया, जिसके तहत थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्तगण लगातार दविश दी जा रही थी जिसके क्रम में -

दिनांक- 20.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश मिश्रा उर्फ विशाल पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्र निवासी ग्राम फूलपुर हारिपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➡ दिनांक 21.06.2025 को उ0नि0 बब्बन यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आविद अली पुत्र स्व0 आशिक अली निवासी ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी को सोफीपुर चौराहे पर पास से समय करीब सुबह 06.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. आबिद अली पुत्र स्व0 आशिक अली निवासी ग्राम तेतारपुर थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 80/2025, धारा 3/5A/8 उ0प्र गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 81/2025 धारा 109,352,351(3),3(5) भा0न्या0सं0 थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1 उ0नि0 बब्बन यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़



"एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग", 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस उप-महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाईन्स परिसर में किया गया योगाभ्यास।

11 वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस- 2025 की थीम "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग।" यह विषय योग अभ्यास के दोहरे लाभों पर जोर देता है: व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ाना और बड़े पैमाने पर समाज में सुधार करना। थीम यह मानती है कि आंतरिक शांति और आत्म-देखभाल एक खुशहाल और स्वस्थ अस्तित्व की आधारशिला हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक- 21.06.2025 को पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़, परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाईन्स परिसर में योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर योगा प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसनो जैसे अनुलोम-विलोम, कपाल भांति, अर्धचक्रासन, बज्रआसन, भुजंग आसन, शशांक आसन ,शीतली प्राणायाम आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। योगा प्रशिक्षक द्वारा लोगो को प्रोत्साहित करते हुए बताये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाये रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक संतोष कुमार सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहे।

➡इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस के समस्त थानों/चौकी तथा पुलिस कार्यालयों पर भी योग शिविर/कार्यशाला का आयोजन कर योगाभ्यास किया गया।

